www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(सूचना अनुभाग)

5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 12.05.2017

सीबीआई ने बैंक को 126 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि पहुँचाने के मामले की जारी जाँच में प्राइवेट कम्पनी के तत्कालीन निदेशक को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने समूह में ऋण लेने के मामले में लिप्त एस.बी.आई, केनरा बैंक एवं विजया बैंक से सम्बन्धित जारी जाँच में अहमदाबाद/ मुम्बई की प्राइवेट टेलीकॉम कम्पनी के तत्कालीन निदेशक को आज को गिरफ्तार किया। बैकों को 126 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि हुई।

ऐसा आरोप था कि उक्त प्राइवेट टेलीकॉम कम्पनी को बहुत सी ऋण सुविधाएँ (एल.सी.) जिसमें नकद ऋण, सावधि ऋण एवं गैर निधि आधारित सीमाएँ (एल.सी.) शामिल है, जिसकी कुल धनराशि 126 करोड़ रू. (लगभग) है, की मंजूरी दी गई। आरोपी ने पूर्व प्रोत्साहकों से वर्तमान कम्पनी को अपने हाथों में ले लिया। ऐसा आगे आरोप था कि वर्तमान कम्पनी ने देश के दक्षिणी एवं पूर्वी क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. वी.वी.ओ.बी.बी. (Voice and Video over Broad Band) प्रोजेक्ट को आरम्भ करने के लिए बोली जीती एवं आरोपी ने बैंकों से भारी धन प्राप्त करने हेतु प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ा चढ़ा कर पेश की। यह भी आरोप था कि वास्तव में किसी भी तरह की मशीनों की आपूर्ति नही की गई तथा सहायक कम्पनियों का पक्ष लेते हुए साख पत्र (Letter of Credit) खोले गए। इन साख पत्रों की कथित रूप से गणना नही की गई एवं धनराशि को बेईमानी से निकाल लिया गया। 06 अन्य मामलों में उक्त आरोपी की भूमिका की भी जाँच की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी को नामित अदालत में कल पेश किया जायेगा।

****